

8me4 (R)

// पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर //

क्रमांक: पु०मु०/अजाक/शिका./ 2718 /05 दिनांक 23/12/2005

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला-जाजगीर-चांपा,
छ. गढ़

विषय :- आवेदक कुमार मुहपेन्द्र बहादुर सिंह, राजमहल सकती जिला
जाजगीर-चांपा के आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही बाबत ।

उपरोक्त विषयवांफित आवेदक के बाबत राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली से पत्र द्वारा यह जानकारी
प्राप्त हुई कि, उपरोक्त आवेदक की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं
की गई है । आयोग से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी
ओर प्रेषित है । प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही कर आयोग
को सूचित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने
का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

हेतु-पुलिस उप महा निरीक्षक
अजाक पु०मु० रायपुर

क्रमांक: पु०मु०/अजाक/शिका./ 2718A /05 दिनांक 23/12/2005

प्रतिनिधि :- श्री त्रिपुरारी राय, सहायक संचालक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्र.
छत्तीसगढ़/एसटी-7/2005/स्ट्री सिटी दि० 9. 12. 05 के
संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

हेतु-पुलिस उप महा निरीक्षक
अजाक पु०मु० रायपुर

9/1/06
A. A. A. A.

10/1/06
9-1-06

SMSCR)

APCR

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

क्रमांक/पु.अ./जां.चां./शिका./पु. मु. / 138 /05
प्रति,

दिनांक 31.12.2005

सहायक संचालक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

भारत सरकार नई दिल्ली -110003


विषय :- आवेदक कुमार पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह राजमहल सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के आवेदन पत्र के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./एस.टी./07/05 एक्ट्रोसिटी दिनांक 09.12.05

—00—

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के आवेदन पत्र के आवेदक पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह-राजमहल सक्ती के आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। शिकायत पत्र में प्रार्थी इस जिले का है, किन्तु शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्य जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) से संबंधित है। जिला छिंदवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लो. न्यास प्रकरण क्र. 3/बी-113(1) 88-89 दिनांक 07.06.97 पारित होना उल्लेखित है। संदर्भित शिकायत पत्र जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) से संबंधित होने पर शिकायत मूलतः वापस कर लेख है कि जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) को प्रेषित किया जाकर उल्लेखित तथ्यों की विधिवत जांच कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- मूलतः आवेदन पत्र मय मेमो-03


पुलिस अधीक्षक
जांजगीर-चांपा 31/12/05

प्रतिलिपि :- 1. पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक) पु.मु. रायपुर को उनके पत्र क्र./पु.मु./अजाक/शिका./2718/05 दिनांक 23.12.05 के संदर्भ में सादर सूचनाार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जांजगीर-चांपा

24/12/05
20-1-06

168/A-37
10/02/2006

S No (100)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक छिन्दवाडा म0प्र0

कर्मोंक/पुलिस/सीसी/आयोग/19/379-ए/06

दिनांक 31/01/06

पति,

श्री श्रीपुरारी राम,

सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

एटी मजिल की विंग लोक न्यायक भवन खान मार्केट

नई दिल्ली-110003 ।

विषय— आवेदक कुंवर पुष्पेन्द्र बहादुरसिंग राजमहल शक्ति जिला जाचगीर चापा छत्तीसगढ की शिकायत जॉच कर प्रतिवेदन भेजने बाबद ।

संदर्भ— आपका पत्र कर्मोंक/छत्तीस0/एसटी-07/05 दिनांक 18 जनवरी 06 ।

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत आवेदक कुंवर पुष्पेन्द्र बहादुरसिंग राजमहल शक्ति जिला जाचगीर चापा छत्तीसगढ की शिकायत जॉच हेतु प्राप्त हुई थी । इसमें अनावेद प्रशासन द्वारा अत्यधिक अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है । इसकी जॉच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस छिन्दवाडा द्वारा कराई गई ।

जॉच पर पाया गया कि आवेदक द्वारा जिस जमीन पर प्रशासन द्वारा अत्याचार पूर्वक न्यायिक प्रक्रिया अपनाते का उल्लेख किया गया है । इस संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास छिन्दवाडा द्वारा प्रकरण संदर्भ 3/वी-110(1)/88-89 दिनांक 7-6-97 को पारित निर्णय में वादी अध्यक्ष शक्ति दस्त छिन्दवाडा का आवेदन पत्र स्वीकार कर लोक न्यास मानते हुये पंजीकरण के आदेश पारित किये गये है । यह न्यायालय द्वारा पारित निर्णय है इसमें पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है । स्वर्गीय राजकुमारी ज्ञानदा देवी की शरीर अंत्येष्टि जबलपुर में सोम होने का उल्लेख किया गया है इसकी जॉच पुलिस अधीक्षक जबलपुर से कराई जाकर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित होगा ।

अतः उपरोक्तानुसार जॉच प्रतिवेदन कृपया आपकी ओर सादर प्रेषित है ।

10/2/06
अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक
छिन्दवाडा ।
3011